

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 7/मु०-4-11/2004-

/राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,


महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिन्नु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के परिक्षेत्राधीन लतरातु जलाशय योजना के अन्तर्गत एकसक्यूसन वाद संख्या- 110/2014 (Misc. Case No. 33/1991 से उद्भूत) मेसर्स मोदी कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में माननीय सबजज II, राँची द्वारा दिनांक 29.07.2017 को पारित आदेश के क्रम में विधि विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञाप सं०-सी०/डी०डी०ए०-05/2017-2108/जे० दिनांक 14.09.17 द्वारा मूलधन के भुगतान हेतु प्राप्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में रु० 17.64 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के परिक्षेत्राधीन लतरातु जलाशय योजना के अन्तर्गत एकसक्यूसन वाद संख्या- 110/2014 (Misc. Case No. 33/1991 से उद्भूत) मेसर्स मोदी कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में माननीय सबजज II, राँची द्वारा दिनांक 29.07.2017 को पारित आदेश के क्रम में विधि विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञाप सं०- सी०/डी०डी०ए०-05/ 2017-2108/जे० दिनांक 14.09.17 द्वारा मूलधन के भुगतान हेतु प्राप्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में रु० 17.64 (सतरह लाख चौसठ हजार) लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. प्रस्तावित राशि लतरातु जलाशय योजना अन्तर्गत डैम के चेन 7 से 17 तक मिट्टी कार्य (एकरारनामा संख्या-F₂-04/1984-85) से संबंधित एकसक्यूसन वाद संख्या- 110/2014 (Misc. Case No. 33/1991 से उद्भूत) मेसर्स मोदी कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में न्याय निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा भुगतान किया जाना है।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-62-मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड-49S470180796620545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष- 2017-18 में उपबंधित राशि के विकलनीय होगा।





5. प्रस्तावित भुगतान जलपथ प्रमण्डल, खूँटी द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, खूँटी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं इसके नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची होंगे।
6. प्रस्तावित भुगतान वर्ष 2017-18 में पूरा कर लिया जायेगा।
7. प्रस्तावित भुगतान हेतु वर्ष 2017-18 के बजट में उपबंध उपलब्ध है।
8. प्रस्तावित कार्य की निकासी खूँटी कोषागार, खूँटी से की जायेगी।
9. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
10. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 7/मु०-4-11/2004-

/राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची एवं योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 7/मु०-4-11/2004-

/राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 7/मु०-4-11/2004-45/17-18 प्र०-९१। /राँची, दिनांक 03/10/2017

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, खूँटी/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/10/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)